

मूल अधिकार Fundamental Right

Art 21 - प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
Protection of life and personal liberty.

- ↳ शादी की स्वतंत्रता
- ↳ चिकित्सीय सहायता
- ↳ विदेशी जाने की स्वतंत्रता
- ↳ स्वच्छ पानी पीने की स्वतंत्रता

Art 21(A) - Right to Education शिक्षा का अधिकार
↳ 86वें संविधान संशोधन अधि. 2002
[86th C.A 2002] के द्वारा जोड़ा गया
↳ 6-14 साल तक के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
↳ अधिनियमित / Law - 2009
↳ लागू - 1 April - 2010

Art 22 - गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण
Protection against arrest and detention in certain case.
↳ कारण (Reason)
↳ 24 घण्टा - मजिस्ट्रेट के सामने पेश
↳ वकील / Advocate.

[Article 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार]
[Right Against to exploitation]

Art 23 - मानव दुर्व्यापार एवं बलात् क्रम का प्रतिषेध
Prohibition of Human trafficking and Forced labour.

- * जबरजस्ती काम करवाना
- * बच्युआ मजदूरी
- * बेगारी

Art 24 - बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
Prohibition of employment of children.
↳ ऐसे बच्चे जो 14 साल से कम हैं उन्हें जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जाएगा।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (25-28)
(Right to Freedom to Religion)

Art 25 - अन्तःकरण आदि की स्वतंत्रता
Freedom of Conscience etc
↳ मन से किसी भी धर्म को मानने की आजादी
↳ सिख - कृपाण / Kirpan.

Art 26 - धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता
Freedom to Manage Religious affairs.

Art 27 - धार्मिक अभिव्यक्ति हेतु कर से मुक्ति.
Freedom to Taxes for religious Promotion
↳ दान किए गये रुपये पर Tax नहीं लगेगा।

Art 28 - शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता
(Freedom in Educational Institutions)
↳ राज्य द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थान
Educational Institute. run by state.

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (29-30) (Cultural and Educational Rights)

Art. 29 - अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
(Protection of Interests of minorities)

- ↳ भाषा (Language), लिपि (Script), संस्कृति (Culture)
- ↳ मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई,

Art. 30 - शिक्षण संस्थानों की स्थापना
Establishment of Educational Institutions

- ↳ Base / आधार - भाषा एवं धर्म
अनसंख्य

Art. 32 - संवैधानिक उपचारों का अधिकार
(Right to Constitutional Remedies)

- ↳ B.R. अम्बेडकर साहब ने

↳ संविधान की आत्मा व हृदय कहा था।

(Soul and Heart of Cons.)

S.C अनु. 32 के तहत - 5 writs

① बन्दी प्रत्यक्षीकरण Habeas Corpus

- ↳ इसका शाब्दिक अर्थ है - व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए

Its literal meaning is - to be presented to the person.

- ② परमादेश (Mandamus) - (सरकारी लोगो को)
↳ इसका शाब्दिक अर्थ है - हम आदेश देते हैं।
It literally means - we give order.
- ③ प्रतिषेध (Prohibition)
↳ इसका अर्थ है - मना करना It means to Refuse.
- ④ उत्प्रेषण (Antiphrasis)
↳ इसका शाब्दिक अर्थ है
↳ पूर्णतया सूचित करना या मंगवा लेना
Its literal meaning is to inform
Completely or to get it called.
- ⑤ आधिकार पृच्छा (Quo warrant)
↳ इसका शाब्दिक अर्थ है - आपका अधिकार क्या है।
It literally mean - what is your authority.

विदेशी एवं भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार -

- | | |
|-----------------|--------------------|
| * अनुच्छेद - 14 | * अनुच्छेद - 20 |
| * अनुच्छेद - 21 | * अनुच्छेद - 21(A) |
| * अनुच्छेद - 22 | * अनुच्छेद - 23 |
| * अनुच्छेद - 24 | * अनुच्छेद - 25 |
| * अनुच्छेद - 26 | * अनुच्छेद - 27 |
| * अनुच्छेद - 28 | |

કેવલ આરતી પી પ્રાપ્ત મૌલિક અધિકાર

- * અનુચ્છેદ - 15
- * અનુચ્છેદ - 16
- * અનુચ્છેદ - 19
- * અનુચ્છેદ - 29
- * અનુચ્છેદ - 30